रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

o असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 1989/अग्रहायण 9, 1911
No. 614] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 1989/AGRAHAYANA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 नवम्बर, 1989

सा०का०नि० 1028 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग विधि कार्य विभाग विधि और न्याय मंत्रालय में सरकारी अधिवक्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) सरकारी अधिवक्ता, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध है अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हता यह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा उस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
सरकारी अधिवक्ता	1* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय ।	4500-150-5700रु.	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
6	7
50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू काश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिला का पांगी उपमंडल अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	हां, केवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए : परन्तु यह फायदा सीधे भर्ती किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा जिसने सरकारी अधिवक्ता के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार में या ऐसी किसी भी सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में कोई ऐसा पद धारण किया हो जहां उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन, नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन जोड़े गए वर्षों का फायदा किया गया हो या उसे केन्द्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या ऐसी किसी सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की अवधि को भारत सरकार में की गई सेवा के साथ संगणना करने का फायदा दिया गया हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) वह किसी उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में कम से कम 9 वर्ष की अवस्थिति का प्रैक्टीस करने वाला अधिवक्ता हो और उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया से अवगत हो । या किसी राज्य न्यायिक सेवा का कम से कम 9 वर्ष की अवस्थिति वाला अधिकारी हो; (2) उसे, समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के अधीन यथा हो; उपबंधित उच्चतम न्यायालय का अभिलेख अधिवक्ता के रूप में अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।	नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

8	9	10
टिप्पण: ऐसे किसी अभ्यर्थी की भी, जो उपरोक्त (ii) प्रविष्टी के अधीन अर्हित नहीं है, पद पर नियुक्ति की जा सकती है किन्तु उस पद पर उसकी नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्हता प्राप्त कर लेगा। टिप्पण: 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण: 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रेषित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
प्रोन्नति, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति (i). विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में ऐसा अपर सरकारी अधिवक्ता जिसने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) उपरोक्त (i) के न हो सकने पर, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का ऐसा अपर सरकारी अधिवक्ता जिसने विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में अपर सरकारी अधिवक्ता और उस सरकारी अधिवक्ता की श्रेणी में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, विधि कार्य विभाग —सदस्य 3. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग —सदस्य 4. विधि कार्य विभाग में ऐसा संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार जो सुसमय साधारण प्रशासन का भारसाधक हो, यदि कोई हो —सदस्य	सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

13	14
5. किसी अन्य/मंत्रालय विभाग का ऐसा संयुक्त सचिव जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो —महनियोजित —सदस्य	
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति	
(पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए)	
1. सचिव, विधि कार्य विभाग —अध्यक्ष	
2. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग —सदस्य	
3. विधि कार्य विभाग में ऐसा संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, तत्समय साधारण प्रशासन का भारसाधक हो, यदि कोई हो —सदस्य	
किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का ऐसा संयुक्त सचिव जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो —सहयोजित सदस्य	
टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नही करता है तो विभागीय प्रोन्नति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	

[फा. सं. ए-12018/1/89 प्रशा. I वि. का .]
एस .ए. रसूल , उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1989

G.S.R. 1018(E). —In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Government Advocate in Central Agency Section, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, namely —

1. Short Title and Commencement—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) Government Advocate, Central Agency Section, Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

(3) Number of post; Classification and scale of pay—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Other Qualifications, etc. The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax —Where the Central Government if of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recroded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of person.

6. Saving —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6	7
Government Advocate	*1989 *Subject to variation dependent on work lead	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	Rs 4500-150 5700	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt servant upto 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government) Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and pangi Sub Division of Chamba district Himachal pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	Yes, only to direct recruits Provided that this benefit shall not be admissible, if such a direct recruit before Appointment as Goverment Advocate has held post under the Central or a State or a Union Territory Government or in an autonomous body under any of such governments, where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of Central Civil Service (pension) rule 1972, or has been given benefit of counting that period of service rendered under the Central or State or Union Territory Government or an autonomous body under any such Government with the Government of India service"

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential: (i) An actising advocate of a High Court or the Supreme Court of India of at least 9 years' standing and conversant with the practice and procedure of the Supreme Court. or An officer of a State Judicial Service of at least 9 years' standing (ii) Must be registered as an Advocate on record of the Supreme Court as provided under the Supreme Court Rules, 1966 as amended from time to time. Note. A candidate who is not qualified under entry (ii) above may also be appointed to the post but his appointment thereto shall be subject to the condition that, he acquires the qualification within a period of one year from the date of such appointment Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Union public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	No	1 year for direct recruits	promotion failing which by direct recruitment.

8	9	10	11
Note 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion: (i) Additional Government Advocate in the Central Agency Section of the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice with at least three years' regular service in the grade. (ii) Failing (i) above the additional Government Advocate in the Central Agency Section of the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice with at least 5 years' combined regular service in the grade of Additional Government Advocate and Deputy Government Advocate in Central Agency Section of the Department of Legal Affairs.	Departmental promotion Committee Group 'A' (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman. 2. Secretary, Department of Legal Affairs -Member. 3. Additional Secretary, Department of Legal Affairs —Member 4. Joint Secretary & Legal Adviser, for the time being incharge of General Administration if any, in the Department of Legal Affairs -Member. 5. A Joint Secretary of another Ministry/Department belonging to SC/ST community — Co-opted Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Secretary, Department of Legal Affairs -Chairman 2. Additional Secretary, Department of Legal Affairs, —Member. 3. Joint Secretary & Legal Adviser for the time being incharge of General Administration, if any, in the Department of Legal Affairs- -Member. 4. A Joint Secretary of another Ministry/Department belonging to SC/ST community—Co-opted Member. "Note: The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval, if, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of Departmental promotion Committee to be presided over the Chairman or a Member of the Union Public service Commission shall be held."	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F.No. A-12018/1/89—Adm.-I(LA)]
S A. RUSSELL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989